आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा

आरबिट्रेशन अपील वाद संख्या–272/2023
कपिलदेव सिंह एवं अन्य
बनाम्
बिहार सरकार एवं अन्य

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व
वादी के तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, ज्ञानेन्द्र नाथ राय।
प्रतिवादी के तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, अवध किशोर सिंह।

आदेश/अवार्ड

अनुसूची 14–फार्म संख्या–563

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
11.09.2024	**प्रस्तुत Arbitration वाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.6560/2015** कपिलदेव सिंह व अन्य बनाम बिहार सरकार व अन्य में दिनांक–24.07.2023 में पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश निम्नवत् है। *"Counsel for the state submits that this is the correct position of law that for the purpose of enhancement of amount under compensation who received part compensation shall avail remedy according to section 20 (F) (6) of the Railway Act, 1889 before the Arbitrator-cum-Divisional Commissioner, Saran.* *As such petitioners are directed to avail his remedy before the said forum within 4 weeks along with the order of this Cost"* वाद का संक्षेप में विषय यह है कि प्रस्तुत वाद के आवदेकगण, क्रमशः कपिल देव सिंह, पिता–स्व० शिवपूजन सिंह एवं शैलेन्द्र कुमार सिंह, पिता–स्व० शिवनाथ सिंह, निवासी ग्राम–कौरिया, थाना–भगवानपुर हाट, जिला–सिवान की भूमि जो कि मौजा–कौरिया में स्थित है और जिसका खाता सं०–619, खेसरा सं०–501, कुल रकबा–38 डिसमील का अधिग्रहण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान, महाराजगंज–मशरख रेल लाईन के निर्माण हेतु किया गया, जिसका अधिग्रहित भू–खंड को **"धनहर"** मानते हुए नोटिस निर्गत दिनांक–25.09.2008 को किया गया। इसी क्रम में आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि के किस्म निर्धारण के बिन्दु पर आवश्यक सुधार करने हेतु विभिन्न	

WEB COPY NOT OFFICIAL

स्तरों पर आपत्ति दी गई। उक्त आपत्ति पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण आवेदकगण द्वारा राजस्व विभाग को भी अभ्यावेदन दिया गया। तत्पश्चात् जिला समाहर्त्ता, सिवान की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा जाँचोपरांत भूमि का किस्म आवासीय मानते हुए मुआवजा का निर्धारण हुआ। आवेदकगण इससे भी असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय में उक्त अधिग्रहित भूमि को आवासीय के बदले व्यवसायिक किस्म की भूमि निर्धारित करते हुए मुवाजा राशि का निर्धारण करने हेतु वाद दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–24.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत मामला इस न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु ग्रहण की गई है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के प्रारंभ में वाद में निहित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया की यह मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Remand किए जाने के कारण इस स्तर से निष्पादित होना है। उन्होंने आगे कहा की आवेदकगण का मुख्य दावा है कि उनकी अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि व्यवसायिक दर पर गणना कर भुगतान होना चाहिए एवं इसी आधार पर मुआवजे की शेष अंतर राशि का मुआवजा मिलना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि छः सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए निबंधन विभाग द्वारा उक्त भूमि के निर्धारित दर पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना उचित होगा। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त भूमि के खरीद–बिक्री हेतु निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित भूमि के दर पर निबंधन शुल्क इत्यादि लिया जाता है, तौ वैसी स्थिति में अधिग्रहण के पश्चात् भी उसी दर पर मुआवजा का निर्धारण होना चाहिए।

दूसरी और विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा समाहर्त्ता, सिवान एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान का पक्ष रखते हुए यह कहा गया कि छः सदस्यीय समिति द्वारा भूमि के किस्म का निर्धारण आवासीय रूप मे किया गया है, जो सही है एवं इसी आधार पर पंचाट घोषित है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया गया कि अधिग्रहित भूमि रेल परियोजना के लिए हुआ

WEB COPY NOT OFFICIAL

है एवं इस संबंध में घोषित पंचाट के विवाद का निराकरण हेतु आयुक्त–सह–आर्बिट्रेटर घोषित नहीं है। इस आधार पर भी इस मामलें में इस स्तर से निर्णय अपेक्षित नहीं है। आयुक्त को सिर्फ N.H संबंधित मामलो में Arbitrator की भूमिका है।

वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के गहण अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि NHAI, ACT, 1956 के अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियम/नियम के तहत आयुक्त को Arbitrator की शक्ति प्रदत्त नहीं हैं परन्तु प्रस्तुत मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस स्तर पर सुनवाई हेतु रिमांड किया गया है। आवेदक का मामला Section 20 (F) (6) of The Railway Act, 1889 के तहत विचारणीय है, जब आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता से यह प्रश्न किया गया की क्या वे किसी अधिनियम/नियम से न्यायालय को अवगत करा सकते हैं जिसमें Railway द्वारा विभिन्न परियोजनाओं द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् मुआवजा राशि के निर्धारण में उत्पन्न विवाद को निपटारा करने हेतु आयुक्त को Arbitrator की शक्ति प्रदत्त है तो उनके द्वारा इस पर अनभिज्ञता व्यक्त की गई।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है किः–

After some argument, counsel for the petitioners seeks permission to avail his remedy under Section 20 (F) (6) of the Railways Act, 1989 before the Arbitrator-Cum-Divisional Commissioner, Saran.

Counsel for the state submits that this is the correct position of law that for the purpose of enhancement of amount under compensation who received part compensation shall avail remedy according to Section 20 (F) (6) of the Railways Act, 1989 before the Arbitrator-Cum-Divisional Commissioner, Saran.

इसी क्रम में The Railway Act, 1889 की धारा 20 (F) (6) "If the amount determined by the competent authority under sub section (1) or as the case may be, sub section (3) is not acceptable to either of the parties, the amount shall on or application of either of the parties, be determined by the

WEB COPY NOT OFFICIAL

arbitrator to be appointed by the Central Government in such name as may be prescribed.

उक्त धारा में यह स्पष्ट किया गया की रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजा राशि के निर्धारण में उत्पन्न विवाद की स्थिति में इसका निपटारा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त Arbitrator के द्वारा किया जाएगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रमंडलीय आयुक्त को केन्द्र सरकार द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय राज–मार्ग परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के मुआवजा निर्धारण में उत्पन्न विवाद का निपटारा हेतु सक्षम प्राधिकार के रूप में Arbitrator की शक्ति प्रदत्त है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि प्रमंडलीय आयुक्त को रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजा विवाद को सुलझाने हेतु Arbitrator की शक्ति किसी भी अधिसूचना द्वारा प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामलें में अगर आदेश पारित किया जाता है तो वह आदेश स्वतः Ultra-Vires हो जाएगा। इसलिए प्रस्तुत मामलें में कोई आदेश पारित किया जाना विधि–सम्मत् आदेश नहीं होगा।

अतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को **निस्तार (Disposed Off)** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त

आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL